Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

F.No. C-26001/01/95-Admn.(P)/18 the 19th April, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Reimbursement in respect of News Papers Purchase/Supplied to Officers at their residence-guidelines regarding.

In supersession of earlier Office Memorandum issued on the subject and subsequent to Office Memorandum No. 25(12)/E.Coord.-2018 dated the 3rd April, 2018 issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, it has been decided by the Competent Authority, CPCB to adopt the guidelines issued on the subject.

2. It has, therefore, been decided that in place of existing practice of getting monthly reimbursement of Newspapers on production of Newspaper Bills, reimbursement of newspaper may be made at the rates mentioned below based on the certification given by the officers/officials of CPCB, as under:

S.No.	Level of Officers	Reimbursement to made per month (in Rupees)
1.	Chairman, CPCB	Rs. 1100/- (Rs. Eleven Hundred only)
2.	All other officers in the pay Level of 7 to 13A	Rs. 500/- (Rs. Five Hundred only)
3.	All the employees in the pay Level of 6 and below	Rs. 100/- (Rs. One Hundred only)

3. A certificate as per the Annexure at overleaf, to the effect that expenditure has been incurred on Newspapers shall be provided by the officers/officials on half yearly basis to the office for reimbursement.

4. The Office Memorandum will be effective from the month of April, 2018.

5. This issues with the approval of the Chairman, CPCB.

(R.D. Pandey)
Administrative Officer (P)

Distribution:-
1. All Divisional Heads
2. All Regional Director, RDs of CPCB
3. PS to CCB
4. PS to MS
5. D.H.- I.T. : with a request to upload this O.M. on Intra Portal
6. Officer Order File
7. Master File

Annexure

Central Pollution Control Board

(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

[Statement to be furnished on half-yearly basis by the Government Officer to Accounts Division]

CP No. :______________ Bank Account No. :__________________________

Name of Applicant : ________________________

Designation : ______________________________

Division : __________________________________

Pay Level & Basic Pay (Rs.) : _______________

I certify that I have spent Rs.__________ (Rupees____________________________) towards purchase of Newspaper(s) for the month of :

i) April to September, 2018 ☐
ii) October, 2018 to March, 2019 ☐

[tick ☑ the appropriate option]

I further declare that : i) The newspaper (s) in respect of which reimbursement is claimed, is/are purchased by me. ii) The amount for which reimbursement is being claimed has actually been paid by me and has not/will not be claimed by any other source:

Date : ____________

Signature: _______________

Name:____________________

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली - 110032

फाइल सं. सी-26001/01/95-प्रशा.(का.)/78 दिनांक 19.01.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अधिकारियों के आवास पर समाचार पत्रों की खरीद/आपूर्ति की प्रतिपूर्ति के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुए तथा तत्पश्चात वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या 25(12)ई-समन्वयन-2018, दिनांक 03.04.2018 के संबंध में, के.प्र.नि.बो. के सक्षम प्राधिकारी ने उक्त कार्यालय ज्ञापन में जारी दिशानिर्देशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

2. इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि समाचारपत्र बिलों के प्रस्तुतीकरण पर समाचार पत्रों की मासिक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर, के.प्र.नि.बो. के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिए गए प्रमाणीकरण के आधार पर उल्लेखित दरों पर समाचार पत्रों की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जा सकती है:-

क्र. सं.	पे-मैट्रिक्स लेवल	प्रतिमाह प्रतिपूर्ति (रुपयों में)
1.	अध्यक्ष, के.प्र.नि.बो.	रु.1100/- (ग्यारह सौ रुपये मात्र)
2.	7 से 13-ए तक पे-मैट्रिक्स लेवल के अन्य सभी अधिकारी	रु.500/- (पाँच सौ रुपये मात्र)
3.	6 एवं उससे कम पे-मैट्रिक्स लेवल के अन्य सभी कर्मचारी	रु.100/- (सौ रुपये मात्र)

3. अनुलग्नक प्रमाणपत्र के अनुसार कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अर्ध-वार्षिक आधार पर समाचार पत्रों की प्रतिपूर्ति के लिए व्यय का ब्यौरा कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा।

4. यह कार्यालय ज्ञापन अप्रैल, 2018 माह से प्रभावी होगा।

5. यह अध्यक्ष, के.प्र.नि.बो. के अनुमोदन द्वारा जारी किया जा रहा है।

(आर.डी. पाण्डे)
प्रशासनिक अधिकारी (का.)

वितरण:-

1. सभी प्रभाग प्रभारी
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय निदेशालय, के.प्र.नि.बो.
3. अध्यक्ष, के.प्र.नि.बो. के निजी सचिव
4. सदस्य सचिव के निजी सचिव
5. प्रभारी-आईटी : कृपया इस का.ज्ञा. को इंट्रा- पोर्टल पर अपलोड करें।
6. कार्यालय आदेश फाइल
7. मास्टर फाइल

अनुलग्नक

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली - 110032

[अर्ध-वार्षिक आधार पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लेखा प्रभाग के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।]

सीपी संख्या : ____________ बैंक खाता संख्या:____________

आवेदक का नाम : ____________

पद : ____________

प्रभाग : ____________

पे-लेवल एवं मूल वेतन (रु) :____________

मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मैंने निम्नलिखित महीनों में समाचार पत्रों की खरीद पर रु.____________ (रुपये____________) व्यय किए हैं।

i. अप्रैल से सितंबर, 2018 ☐
ii. अक्टूबर से मार्च, 2019 ☐

[कृपया उपयुक्त विकल्प (✓) चिह्नित करें]

मैं पुनः यह घोषणा करता/ करती हूँ कि i) जो समाचार पत्र मेरे द्वारा खरीदे गए हैं, उन्हीं का दावा प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है। ii) जिन समाचार पत्रों का भुगतान मेरे द्वारा किया गया है, उन्हीं का दावा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, और जिसे किसी अन्य स्त्रोत द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

दिनांक : ____________

हस्ताक्षर : ____________

नाम : ____________